(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONALCAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(23)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ Dated: the_____ 2015

NOTIFICATION

No.F.3(23)/Fin(Rev-I)/2015-2016 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2014.

2. **Amendment of rule 35.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, in rule 35, in sub-rule (2), after the proviso and before explanation, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Commissioner may admit an application for refund or an additional or a revised application for refund, as the case may be, under section 41, from the Embassies, High Commissions and International Organisations listed in the entry at serial No. 1 of the Sixth Schedule, upto a period of one year from the end of relevant quarter, subject to his satisfaction about existence of sufficient cause preventing submission of a true and correct application for refund within the time limit of three months from the end of relevant quarter.".

By order and in the name of the Lt. Governer
of the National Capital Territory of Delhi,

(A. K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F.3(23)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ 914 Dated: the 16/11 2015

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. Pr. Secy(Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi

4. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
5. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya,, New Delhi
6. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.A. to Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website

(A.K.SINGH)
Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं फा: 3(23)/वित्त (राज0–1)/2015–2016/ दिनांक , 2015

अधिसूचना

सं फा: 3(23)/वित्त (राज0–1)/2015–2016/ .– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004(2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ** .– (1) इस नियमावली को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी समझा जोयगा।

2. **नियम 35 का संशोधन** :–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005, के नियम 35 में उपनियम (2) में परन्तुक के पश्चात् तथा व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित नया प्ररन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

यह भी उपबंध है कि आयुक्त दूतावास, उच्चायोग तथा छठी अनुसूची की क्रम सं0 01 की प्रविष्टि में सूचीबद्ध अन्तराष्ट्रीय संगठनों से धारा 41 के अन्तर्गत कर रिफंड के लिये आवेदन या अतिरिक्त अथवा संशोधित आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित तिमाही के अन्त से एक वर्ष की अवधि तक आवेदन स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि वह संबंधित तिमाही की समाप्ति से तीन माह की समय सीमा के दौरान रिफंड के लिये अनुरोध न किये जाने के सही और उचित विद्यमान पर्याप्त कारणों से संतुष्ट हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए0 के0 सिंह)
उप–सचिव -VI (वित्त)

सं फा: 3(23)/वित्त (राज0–1)/2015–2016/914 दिनांक 16/11, 2015

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
8. नि0 सं0 नेता प्रतिपक्ष, 29 दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. वैट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट।

(ए0 के0 सिंह)
उप– सचिव –VI (वित्त)